सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 07, सोमवार, *शाके* 1945-फरवरी 26, 2024 *Phalguna 07 Monday , Saka 1945- February 26 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 06, 2024

संख्या प. 2(7) वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (**Entitled**) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (**Protected Forest**) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा अथवा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्व नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्व किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्व करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली से किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (**Proviso**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (**Protected Forest**) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनु सूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (**Reserved**) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उनसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया

जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मोनाली सेन,
शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

क्र. सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरावास	सहाडा	भीलवाडा	उत्तर - आराजी नं.-63 एंव 3058/64	सुरावास	1790 3124/1789	18.54 23.76
				पूर्व- आराजी नं.-62 एंव 3125/1789			
				पश्चिम - आराजी नं.-3148/2975 एंव 3181/142			
				दक्षिण- आराजी नं.-3163/472			
				योग		किता-1	42.30

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

वनखण्ड सुरावास
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	*Acacia Leucophloea*	रौंझ
2	*Acacia nilotica*	देशी बबूल
3	*Azadirachta indica.*	नीम
4	*Zizyphus nummularia*	झड़ बेरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - सुरावास
रेंज - गंगापुर
वन मंडल - भीलवाडा

1 प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में गेमु.मगरी वन विभाग के नाम से दर्ज है तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
2 विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमम, खनन कार्य नही किये हुए है।
3 प्रस्तावित वन क्षेत्रो में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, जिस पर वृक्षारोपण स्थापित किया गया है एवं यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
4 प्रस्तावित भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.10 से 0.20 तक का है एवं इन क्षेत्रो में मुख्य रोंझ, देशी बबूल, झड बेरी, नीम एवं मिश्रित प्रजातियों के पेड एवं झाडिया है।
5 प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वनविभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है एव इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा।
6 प्रस्तावित भूमियो का मानचित्र संलग्न है।
7 पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
8 इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र मे प्रकाशन नही हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।